संख्या-33/2020/1098जेएल/22-3-2020-800(41)/2020

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2020*

विषय- केन्द्रीय कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी लाल बहादुर पुत्र श्री बबऊ सरोज, निवासी-ग्राम-मनापुर, थाना-रामपुर, जनपद-जौनपुर को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-187-90/जि0प्रो0अ0/पैरोल/2020-21, दिनांक 11-06-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार वाराणसी के सिद्धदोष बंदी लाल बहादुर पुत्र श्री बबऊ सरोज, निवासी-ग्राम-मनापुर, थाना-रामपुर, जनपद-जौनपुर को शासनादेश संख्या-29/2020/817जेएल/22-3-2020-800(41)/2020, दिनांक 12-05-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-33/2020/1098जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in